

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-152/2017

36

1. मुकेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. रमेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

-वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र वेदपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत, अधिवक्ता वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विकास शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी लालचन्द के नाम से चक नम्बर 8 सी.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या- 120/102 में प0न0 221/249 (19) कि0न0 19, 21, 22, 23, 24, प0न0 219/251 (47) कि0न0 21, प0न0 218/251 (48) कि0न0 24, 25 प्रत्येक सालम, कुल 2.024 है0 आराजी के वादी संख्या-1 मुकेश कुमार व वादी संख्या-2 रमेश कुमार पि0 लालचन्द जाति जाट निवासीयान् कुलचन्द्र बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकारान् घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी लालचन्द पुत्र वेदपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र का नाम खाता हाजा से कलमजान किया जाता है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुवे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 15-6-17 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 15-6-17 को राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में जारी किया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी